## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या — 1432/2013/अजमेर.
अपील संख्या — 1433/2013/अजमेर.

मैसर्स दिग्विजय स्टोन्स, ग्राम काली डूंगरी, मदनगंज–किशनगढ़.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड—तृतीय, वृत—किशनगढ़.

....प्रत्यर्थी.

3. अपील संख्या — 1434/2013/अजमेर. 4. अपील संख्या — 1435/2013/अजमेर.

मैसर्स दिग्विजय संगमरमर, ग्राम काली डूंगरी, मदनगंज–किशनगढ़.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड—तृतीय, वृत—किशनगढ़.

....प्रत्यर्थी.

## <u>एकलपीठ</u> श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस. के. जैन, अधिकृत प्रतिनिधि

......अपीलार्थीगण की ओर से.

श्री जमील जई, उप–राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 27/01/2015

## निर्णय

- 1. ये चारों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा पारित किये गये पृथक—पृथक आदेशों के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट—तृतीय, वृत—किशनगढ़ (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारीगण की आलौच्य अवधियों के लिये केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'कन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 9 के तहत पारित किये गये आदेशों की पृष्टि करते हुए अपीलार्थीगण की अपीलें अस्वीकार की हैं।
- 2. इन चारों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने से चारों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा मार्बल किटंग / विक्रय का व्यवसाय किया जाता है। अपीलार्थीगण ने आलौच्य अविधयों वर्ष 2002—03 व 2003—04 के लिये प्रस्तुत बिक्री विवरण प्रपत्रों में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 6.3.78 के अन्तर्गत केन्द्रीय अधिनियम के तहत करमुक्ति का दावा करते हुए कर जमा नहीं करवाया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त दावे को अस्वीकार करते हुए आलौच्य अविधयों के कर निर्धारण आदेश केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 के तहत पारित करते हुए, आलौच्य अविधयों में की गई बिक्री पर कर, सरचार्ज व ब्याज का आरोपण किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपीलें अपीलीय अधिकारी के अपीलार्थीन आदेशों से अपास्त किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा ये द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गयी है। प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

| अपील<br>संख्या | अपीलार्थी        | अपीलीय आदेश क्रमांक        | अपीलीय<br>आदेश दिनांक | कर निर्घारण<br>आदेश दिनाक |
|----------------|------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1              | 2                | 3                          | 4                     | . 5                       |
| 1432 / 13      | दिग्विजय स्टोन्स | 106 / 07-08 / सी / किशनगढ़ | 13.01.2010            | 30.03.2005                |
| 1433 / 13      | दिग्विजय स्टोन्स | 103 / 07-08 / सी / किशनगढ़ | 04.03.2010            | 29.03.2006                |
|                |                  | 104 / 07-08 / सी / किशनगढ़ | 13.01.2010            | 30.03.2005                |
| 1435 / 13      | दिग्विजय संगमरमर | 105 / 07-08 / सी / किशनगढ़ | 13.01.2010            | 29.03.2006                |

| कर निर्धारण अवधि | कर       | सरचार्ज | ब्याज    | योग      |
|------------------|----------|---------|----------|----------|
| 6                | 7        | 8       | 9        | 10       |
| 2002-03          | 2,76,476 | 41,471  | 1,38,307 | 4,56,254 |
| 2003-04          | 3,73,917 |         | 1,68,273 | 5,42,180 |
| 2002-03          | 3,33,470 | 50,020  | 1,66,818 | 5,50,308 |
| 2003-04          | 3,45,190 |         | 1,55,335 | 5,00,525 |

# 4. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का तर्क है कि अपीलार्थीगण राज्य सरकार की दो अधिसूचनाओं एफ.4(1)एफडी / टैक्स डिवी. / 97—111 दिनांक 12.03.1997 व खादी इकाईयों के लिये जारी अधिसूचना दिनांक 06.03.1978 के तहत विक्रय कर से मुक्ति प्राप्त है। वर्ष 2002—03 से सम्बन्धित प्रकरणों के सम्बन्ध में विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि अपीलार्थीगण ने वार्षिक विवरण प्रपन्न दिनांक 31.12.2003 को प्रस्तुत कर दिये थे तथा इसके एक वर्ष तक अपीलार्थीगण को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुए, जिससे व्यवहारी स्व—कर निर्धारण योजना दिनांक 29.09.1995 (क्रम संख्या 1029ए) के क्रम संख्या 4 के अनुसार व्यवहारी का कर निर्धारण सम्पूरित हुआ मान लिया जाना चाहिये। उक्त तर्क के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं :— क्रिंग क्रिंग क्रिंग समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं :— क्रिंग क्रिंग स्व

- (1) 13 टैक्स अपडेट 28 रिषम रोलिंग एण्ड ग्रेडिंग मिल्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य (राज.)
- (2) (2004) 08 टैक्स अपडेट 233 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड—प्रथम, बाड़ी, धौलपुर बनाम अतुल स्टोर ट्रेडर्स
- (3) (2005) 22 एस.टी.टी. 177 (एस.सी.)
- (4) (2005) 13 टैक्स अपडेट 28 (राज.)
- (5) 31 टैक्स अपडेट 179 सहायक आयुक्त, विशेष वृत भीलवाड़ा बनाम मै0 भीलवाड़ा साबुन उत्पादक सहकारी समिति लिमि. भीलवाड़ा (रा.क.बो.)
- 6. उक्त आधार पर विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी को छूट का लाभ मिलना चाहिये।
- 7. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अवर अधिकारियों के आदेशों का समर्थन करते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना दिनाक 06.03.1978 में मार्बल किटंग व विक्रय के उद्योग को सिम्मिलत नहीं किये जाने के कारण अपीलार्थी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.03.1978, 27.03.1995 (स्पष्टीकरण दिनांक 26.05.1995) एवं 22.05.2003 के तहत छूट का पात्र नहीं है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थीगण के केन्द्रीय अधिनियम के तहत किये गये विक्रय कर कर, सरचार्ज व ब्याज का आरोपण किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कर निर्धारण आदेशों की पुष्टि किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारीगण की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।
- 8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्राविलयों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।
- 9. हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु यह है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 4(2) में दी गई कर से छूट अथवा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 15 में दी गई कर से छूट, क्या केन्द्रीय अधिनियम के अधीन किये गये विक्रय पर लागू होगी ? इसके लिये सुसंगत अधिसूचनाओं का अध्ययन आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है :--

#### S.NO. 1084: F.4(1)FD/Tax Divn/97-111 dated 12.3.1997

S.O. 309.- In exercise of the powers conferred by S.15, RST Act, 1994, read with section 100 of the said Act and rule 74 of the RST Rules, 1995 and in supersession of this Department notfn. No. F.4(8)FDGr.IV/94-53 dated 7.3.1994 [S.No.919], the State Govt. being of the opinion that it is expedient in the public interest to do so hereby exempts from tax the sale of the goods manufactured by the units established exclusively by women entrepreneurs in the tiny section on the following conditions, namely:-

- 1. that the benefit under this notfn shall be available to those units which commence production after the publication of this notin.
- 2. That such women entrepreneurs shall apply to the concerned Deputy Commissioner (Administration) for such exemption, who on being satisfied about the elifibility of such unit shall issue anexemption certificate.
- That such exemption certificate shall be valid for a period of 3. four assessment years commencing from the assessment year in which such application is submitted.
- 4. That the benefit under this notin shall be available upto the gross turnover of [rupees twenty lacs]. Where the annual gross turnover exceeds this limit, tax shall be levied at the notified rate for the commodity on the turnover in excess of [rupees twenty lacs].

#### S.NO. 973: F.4(11)FDGr.IV/95-54 dated 27.3.1995

- S.O. 404.- In exercise of the powers conferred by S.4(2), RST Act, 1954, and in supersession of all notfns issued in this behalf, the State Govt. being of the opinion that it is expedient in the public interest to do so hereby exempts from tax with immediate effect, the sale of products manufactured in the State and sold by institutions, cooperative societies and individuals registered under the said Act and also with the K.V.I.C. constituted under the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 or the R.K. & V.I. Board constituted under the Rajasthan Khadi and Village Industries Board Act, 1955, and in whose favour R.Cs. have been issued by the authorities competent to do so, on the condition that their annual gross turnover does not exceed Rs. 30 lacs [for individuals] and Rs. two croes for others. Where the annual turnover exceeds these limits, tax shall be levied only on the turnover in excess of such limits.
- अपीलार्थीगण के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्व-कर निर्धारण योजना के सम्बन्ध में जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं, उसके सम्बन्ध में तथ्यात्मक विवेचन निम्न प्रकार किया जाता है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 95-52 दिनांक 27.03.1995, निम्न प्रकार है :--

#### S.NO. 971: F.4(11)FDGr.IV/95-52 dated 27.3.1995

**S.O.** 402.- In exercise of the powers conferred by S.26(2)(g), RST Act, 1954, the State Govt. with a view to clearing pending assessments, hereby notifies a "Deemed Assessment Scheme" in respect of pending assessment for and upto 1993-94, provided that the due tax as per returns has been deposited and relevant regurns have been filed on or before 31.12.1994. the AAs shall dispose of all such eligible assessments according to the provisions of S.10(1)(c), RST Act, 1954.

लगातार.....5

### —: 5 :- 1-4. अपील संख्या-1432, 1433, 1434 व 1435/2013/अजमेर.

This scheme shall not apply to the following categories of the assessees:-

- a. Industrial units enjoying sales tax incentives.
- b. Assessees paying sales tax on goods transferred in the execution of works contracts.
- c. Assessees whose businesses have closed and .who have submitted their final returns.
- d. Assessees who are submitting their first return.
- e. Assessees against whom evasion cases are pending or have been decided or cases on non-deposit of tax as per law have been detected or have been decided during the years in question.
- f. Assessees whose sales and stock transfer are on the strength of declaration forms.
- g. Assessees in whose cases, the rate of tax is in dispute.

That State Govt. also condones the delay, if any, in submission of returns and deposition of tax. Consequently, the penalty under S.7AA and interest under S.11B of the Act shall not be leviable in respect of such assessees who are covered under this scheme.

11. इसी प्रकार स्व—कर निर्धारण योजना—1995 दिनांक 29.9.1995 का क्लॉज संख्या 4.2.2 एवं इसी अधिसूचना के सन्दर्भ में आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी परिपन्न दिनांक 29.9.1995 का बिन्दु संख्या 4 निम्न प्रकार है :—

#### S.No.1029A: स्व-कर निर्धारण योजना-1995 दिनांक 29.9.1995

राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (1995 का राज. अधि. संख्या 22) की धारा 7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सी.के.मैथ्यू, आयुक्त वाणिज्यिक कर राजस्थान, जयपुर एतद् द्वारा लोक हित में राज्य के समस्त पंजीकृत बिक्री कर दाताओं को कर निर्धारण में आने वाली कठिनाइयों से मुक्त करने की दृष्टि से नवीन स्व-कर निर्धारण योजना, 1995 निम्न निबन्धनों तथा शर्तों के साथ प्रचलित करता हूँ:—

(4) इस योजना के अधीन व्यवहारियों द्वारा प्रपत्र एस.टी.5क में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने पर उन्हें इसकी प्राप्ति रसीद दी जावेगी। उक्त प्राप्ति रसीद की तिथी के एक वर्ष की अवधि में कर निर्धारण अधिकारी से अन्यथा कोई नोटिस प्राप्त नहीं होने पर व्यवहारी का कर निर्धारण सम्पूरित मान लिया जावेगा।

S.No.1029B: CCT Circular No. F.16(43)Tax/CCT/87/Pt.I/2232 dated 29.9.1995

- 4.2.2 Assessment shall be carried out on the lines Deemed Assessment Scheme notified by State Government No. F.4(11)FDGr.IV/95-52 dated 27.3.1995 [S.No.971], but penalty or interest would not be waived. Penalty and interest as per Ss.7AA and 11B, (or Ss.61 and 58 of the new Sales Tax Act 1994) if leviable, shall be imposed after due notice. The excluded categories in the Deemed Assessment Scheme of 27.3.95, such as assesses whose businesses have closed and who are filing their last returns, assessees who are filing their first returns and assessees in whose cases the rate of tax is in dispute shall all stand covered under the new Self-assessment Scheme.
- 12. स्व—कर निर्धारण की अधिसूचना के संयुक्त पठन से यह निष्कर्ष निकलता है कि व्यवहारी द्वारा विधि के अधीन देय कर जमा नहीं कराया गया है। केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत किये गये अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर जमा कराने का दायित्व था, वह कर जमा कराने में असफल रहा। इस कारण से कर आरोपित किया गया है, जो व्यवहारी को स्व—कर निर्धारण योजना से अधिसूचना क्रमांक एफ.4(11)एफडी ग्रुप—IV / 95—52 दिनांक 27.03.1995 में 'ई' श्रेणी में आने के कारण बाहर करता है।
- 13. राज्य सरकार की उपरोक्त दोनों अधिसूचनाओं के तहत दी गई कर से मुक्ति केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन की गई बिक्री पर कर से मुक्ति के रूप में अनुज्ञेय होगी या नहीं, इसके लिये वित्त अधिनियम, 2002 के संशोधन 145 के तहत केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8(2-A) में किये गये संशोधन का अध्ययन समीचीन है, जो निम्न प्रकार है :--
  - 145. Amendment of section 8.- In section 8 of the Central Sales Tax Act,-
  - (i) In sub-section (1), after the words "four per cent of his turnover", the words "or at the rate applicable to the sale or purchase of such goods inside the appropriate State under the sales tax law of that State" shall be inserted;
    - (ii) in sub-section (2),-
    - (a) in clause (a), the word "and" shall be omitted;
  - (b) in clasue (b), for the words "whichever is higher,", the words "whichever is higher; and" shall be substituted;
  - (c) for the portion beginning with the words "and for the purpose of" and ending with the words "liable under that law", the following shall be substituted, namely:-

किर्देश्व

"(c) in the case of goods, the sale or, as the case may be, the purchase of which is, under the sales tax law of the appropriate State, exempt from tax generally shall be nil,

and for the purpose of making any such calculation under clause (a) or clause (b), any such dealer shall be deemed to be a dealer liable to pay tax under the sales tax law of the appropriate State, notwithstanding that he, in fact, may not be so liable under that law.

Explanation.- For the purposes of this sub-section, a sale or purchase of any goods shall not be deemed to be exempt from tax generally under the sales tax law of the appropriate State if under that law the sale or purchase of such goods is exempt only in specified circumstances or under specified conditions or the tax is levied on the sale or purchase of such goods at specified stages or otherwise than with reference to the turnover of the goods.";

#### (iii) sub-section (2A) shall be omitted;

- (iv) in sub-section (3), in clause (b), after the words "for sale or", the words "in the telecommunications network or" shall be inserted;
  - (v) in sub-section (5),-
- (a) in the opening paragraph, after the words "State Government may,", the words, brackets and figure" on the fulfilment of the requirements laid down in sub-section (4) by the dealer", shall be inserted;
- (b) in clause (a), after the words "inter-State trade or commerce,", the words "to a registered dealer or the Government" shall be inserted;
- (c) in clause (b), after the words "inter-State trade or commerce,", the words "to a registered dealer or the Government" shall be inserted.

# Clause 145 seeks to amend section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 so as to-

- (i) provide that Central sales tax does not become greater than local sales tax in case of sale of goods to the Government and registered dealers;
- (ii) provide for exemption from central sales tax in cases where goods are exempt from local sales tax;
- (iii) make furnishing of Form C compulsory by the dealer except in respect of exempted goods;
- (iv) include "telecommunication network" in the category of goods which can be specified in certificate of registration for the purposes of levy of tax, etc.;
- (v) withdraw powers of the State Government to waive the requirement of C form.

14. इसी क्रम में राज्य सरकार की कर मुक्ति की अधिसूचनायें केन्द्रीय अधिनियम के अधीन की गई बिक्री पर लागू होने के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त (1995) 96 एस.टी.सी. 355 किमश्नर ऑफ सेल्स टैक्स जम्मू एण्ड कश्मीर व अन्य बनाम पाईन केमिकल्स लिमिटेड व अन्य में दी गई व्यवस्था निम्न प्रकार है :--

Exemption from Central sales tax under section 8(2-A) of the Central Sales Tax Act, 1956, of the sale or purchase of goods is available only where the sale or purchase of such goods is exempt "generally" under the State sales tax law. The court must give due regard and attach due meaning to the expression "generally" in section 8(2-A) which expression has been defined in the Explanation thereto. Section 8(2-A) requires specifically that such exemption must be a general exemption and not an exemption operative in specified circumstasness or under specified conditions. General exemption means that the goods are totally exempt from tax. Where the exemption from taxation is conferred by conditions or in certain circumstances there is no exemption from tax generally. (see pp. 359<sub>D-F</sub>, 360<sub>G</sub>)

- (ii) that the exemption under Notification S.R.O. No. 415 of 1971 dated October 20, 1971, issued by the State of Kerala in regard to the turnover of sales of newsprint by the newsprint plant in the State for a period of two years from the date of starting production of newsprint by the plant, is not an exemption generally and is not available in relation to Central sales tax under section 8(2-A) of the Central Sales Tax Act, 1956. (see p. 364<sub>B, C</sub>)
- 15. केन्द्रीय अधिनयम की धारा 8(2-ए) में कर मुक्ति दिनांक 01.04.2002 से 10.05.2002 व धारा 8(2)(सी) में कर मुक्ति दिनांक 11.05.2002 से 31.03.2004 तक के लिये लागू होगी। दिनांक 11.05.2002 को धारा 8(2-ए) विलोपित की गई थी तथा धारा 8(2)(सी) जोड़ी जाकर कर मुक्ति का प्रावधान तद्गुसार किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के प्रकाश में चूंकि अपीलार्थी को राज्य के भीतर की गई बिक्री पर सशर्त / पण्यावर्त की सीमा राशि तक के लिये कर से मुक्ति प्रदान की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचनाओं के द्वारा राज्य के भीतर की गई बिक्री पर कर में छूट "exempt generally" की श्रेणी में नहीं आने के कारण केन्द्रीय अधिनियम के अधीन की गई अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर से मुक्ति लागू नहीं होगी तथा केन्द्रीय अधिनियम के अधीन नियमानुसार देय कर भुगतान हेतु अपीलार्थी व्यवहारी दायित्वाधीन रहेगा।

- 16. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि व्यवहारी को केन्द्रीय अधिनियम के तहत किये गये विक्रय पर कर से मुक्ति प्राप्त नहीं है तथा अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में किये गये विक्रय पर करदेयता बनती है एवं व्यवहारी कर भुगतान हेतु दायी है।
- 17. परिणामस्वरूप अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं होने से अपीलार्थीगण की चारों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

18. निर्णय सुनाया गया।

4772197201-201

( मनोहर पुरी ) सदस्य